राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005
ई–मेलः indrajfo7@rajasthan.gov.in, फैक्स नं.: 0141–2227516/5106748
फोन नं. 0141–2227727–34, 2227630–34, 2227823–34 (पी.बी.एक्स)

कमांक :एफ.15(1)आयु.उ./ई.एम. अनु./ईएम–मार्गदर्शन/2013 दिनांक : 13-5-2015

परिपत्र

1. महाप्रबन्धक,
   जिला उद्योग केन्द्र,
   समस्त।

2. सहायक निदेशक उद्योग/
   जिला उद्योग अधिकारी,
   जिला उद्योग उप केन्द्र,
   समस्त।

विषयः **एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन भाग–II की जारी अभिस्वीकृति सूचना रदद करने के सम्बन्ध में प्रकिया।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1643 (अ) दिनांक 29.09.2006 के साथ प्राप्त अनुसूची 2 – उद्यमी ज्ञापन और उनसे प्रासंगिक अन्य विषयों को भरे जाने की प्रकिया की कम संख्या 10 तथा 11 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन किये जाने की दशा में कम संख्या 13 के अनुसार जांच के बाद तथ्यों को गलत पाये जाने पर उद्यम को जारी अभिस्वीकृति सूचना को रद्द (Cancel) किया जा सकता है। अनुसूची 2 की कम संख्या 10, 11, 13 व 14 निम्न प्रकार है:

- कम संख्या 10 – संयंत्र और मशीनरी या उपकरण के विनिधान में परिवर्तन की दशा में जिस उद्यम ने उद्यमी ज्ञापन पहले ही भर दिया है, उसे विनिधान में परिवर्तन के बारे में तीन मास के भीतर लिखित रुप से जिला उद्योग केन्द्र को सूचित करना होगा।
- कम संख्या 11 – उत्पादों और सेवाओं या उत्पादन अथवा सेवा में वृद्धि की दशा में जिस उद्यम ने उद्यमी ज्ञापन पहले ही भर दिया है, उसे तीन मास के भीतर लिखित रुप से जिला उद्योग केन्द्र को सूचित करना होगा।
- कम संख्या 13 – "अभिस्वीकृति उद्यमी ज्ञापन" रद्द किया जा सकता है, यदि इकाई छः मास से अधिक के लिये बंद पायी जाती है या फाईल किए गए उद्यमी ज्ञापन में गलत जानकारी दी जाती है या इस अनुसूची के कम संख्या 10 पर अनुदेशों का पालन नहीं किया जाता है (उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन उद्यमी ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी से अन्यून किसी अधिकारी के अधीन, किसी लिखित शिकायत पर आधारित, जांच आरंभ की जाए)।
- कम संख्या 14 – उद्यम पुनः उद्यमी ज्ञापन भाग–2 फाइल करेगा यदि उद्यम की प्रास्थिति संयंत्र और मशीनरी/उपस्करों के विनिधान में वृद्धि/कमी के परिणामस्वरुप सूक्ष्म से लघु या लघु से मध्यम या विपर्यन परिवर्तित हो जाती है। ऐसे मामलों में पहले जारी की गई अभिस्वीकृति को रद्द किये जाने की आवश्यकता है और रद्द की गई अभिस्वीकृति की

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005
ई–मेल: indrajfo7@rajasthan.gov.in, फैक्स नं.: 0141–2227516/5106748
फोन नं. 0141–2227727–34, 2227630–34, 2227823–34 (पी.बी.एक्स)

प्रमाणित प्रति के साथ रद्दीकरण का पत्र उद्योगपति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वह कार्यकरण की अवधि के लिए फायदा/सुविधा, यदि कोई हो, उठा सके।

विभागीय बिन्दु– सांख्यिकी विभाग/उद्योग विभाग/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा करवाये जाने वाले औद्योगिक इकाइयों के सर्वे/क्षेत्र में उद्योग विभाग के अधिकारियों के भ्रमण के दौरान एवं अन्य स्त्रौत से उद्यम निरन्तर छः माह से अधिक की अवधि में बन्द होने की जानकारी मिलने पर जांच आरम्भ की जाकर उद्यम के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप निदेशक (नीति), विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–5(2)2014–एमएसएमई पोल दिनांक 23.06.2014 के मार्गदर्शन बिन्दु 3 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन की अनुसूची 2 की क्रम संख्या 13 के अनुसार जांच के बाद तथ्यों के गलत पाये जाने पर उद्यम को जारी अभिस्वीकृति सूचना को निरस्त (Cancel) किये जाने हेतु अपनायी जाने वाली निरस्तीकरण प्रक्रिया हेतु "अभिस्वीकृति उद्यमी ज्ञापन" भाग–II को रद्द किये जाने के आदेश का प्रारुप संलग्न कर निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:

1. "अभिस्वीकृति उद्यमी ज्ञापन" को रद्द करने से पूर्व उद्यमी को लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिशः सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिये कारण बताओ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जावेगा।
2. नोटिस वापस प्राप्त होने पर उसे व्यक्तिगत रुप से संदेशवाहक द्वारा उद्यमी को तामिल कराया जावेगा।
3. उद्यमी द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने पर उद्यम के कार्य स्थल पर नोटिस दो गवाहों के समक्ष चस्पा किया जावेगा।
4. रद्द करने की कार्यवाही नोटिस चस्पा किये जाने के उपरान्त 30 दिवस तक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर उद्यमी को जारी अभिस्वीकृति उद्यमी ज्ञापन को रद्द किया जावेगा।
5. "अभिस्वीकृति उद्यमी ज्ञापन" रद्द करने की समस्त प्रकिया पूर्ण करने तथा अन्तिम तौर से रद्द करने के आदेश हेतु सभी जिला उद्योग केन्द्र के "महाप्रबन्धक" सक्षम अधिकारी होंगे। इस सम्बन्ध में अपनायी गई प्रकिया एवं निर्णय को रिकार्ड किया जावेगा। इसमें कमी तथा अन्तिम आदेश में त्रुटि के लिये स्वयं "महाप्रबन्धक" उत्तरदायी होंगे।
6. उद्यमी को जारी "अभिस्वीकृति उद्यमी ज्ञापन" के रद्दीकरण आदेश सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा निगर्मित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित विभागों व आयुक्तालय को आदेश की प्रति प्रेषित की जावेगी।
7. महाप्रबन्धक द्वारा जारी रद्दीकरण आदेश के विरुद्ध उद्यमी 30 दिवस की अवधि में रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर सुनवाई हेतु आयुक्त, उद्योग को अपील करने का अधिकारी होगा।

यह प्रकिया तुरन्त प्रभाव से लागू होगी। कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति से सूचित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

आयुक्त, उद्योग

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

ई–मेलः **indrajfo7@rajasthan.gov.in,** फैक्स नं.: 0141–2227516/5106748

फोन नं. 0141–2227727–34, 2227630–34, 2227823–34 (पी.बी.एक्स)

क्रमांक :एफ.15(1)आयु.उ./ई.एम. अनु./ईएम–मार्गदर्शन/2013 दिनांक : 13-5-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110108
2. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, 22 गोदाम औद्योगिक संपदा, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, उद्योग

राजस्थान सरकार

कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,

....

पत्रावली कमांक: ....   दिनांक:

रद्दीकरण आदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा मैसर्स ....को उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति कमांक: .... (भाग–II) दिनांक .... को जारी की गई थी।

मेरे ध्यान में लाया गया है कि मै..(फर्म का नाम) का उद्यमी ज्ञापन भाग–2 निम्न कारणों से रद्द करने योग्य है:–

1. उक्त उद्यम लगातार गत छः माह से अधिक समय से बंद पाया गया।

अथवा

2. उद्यमी द्वारा फाईल किये गये उद्यमी ज्ञापन में गलत जानकारी दी गई।

अथवा

3. राजस्थान वित्त निगम/रीको/वित्त संस्थान द्वारा उद्यम की निलामी उपरान्त उद्यम की प्लांट एण्ड मशीनरी एवं परिसर मैसर्स .... के पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने पर।

इस कारण मै...(फर्म का नाम) को 30 दिवस का कारण बताओ नोटिस लिखित अभिकथन तथा सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिये प्रेषित किया गया। उद्यमी के व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होने तथा प्रस्तुत लिखित अभिकथन निम्न कारणों .... से संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण मै... ....(फर्म का नाम) का उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

आदेश के विरुद्ध 30 दिवस की अवधि में रुपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर वाजिब कारणों के साथ आयुक्त, उद्योग को अपील की जा सकती है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
.... ।

पत्रावली कमांक: ....   दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. संयुक्त विकास आयुक्त (एमएसएमई नीति), कार्यालय विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार), निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110108
2. निदेशक (सांख्यिकी एवं आंकडा प्रभाग), कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरकार, ए.जी.सी.आर. भवन, ई–विंग, प्रथम तल, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम–विकास संस्थान, बाईस गोदाम, औद्योगिक सम्पदा, जयपुर–302006

4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको लि., उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
6. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, स्टेच्यु सर्किल, जयपुर।
7. आयकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, जयपुर।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, तीसरी मंजिल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
10. जिला कलेक्टर ....।
11. मैसर्स ....।
12. रक्षित पत्रावली।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
......................................।